GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)I-81/CPC/LE/8. New Delhi, dated: 9.5.1985.

The General Managers,
All Indian Railways including
CLW, DLW, ICF & DG/RDSO.

Sub: Entitlement of 10 days earned leave on full pay during ayear in lieu of 20 days half pay leave for the teachers working in Railway Schools - clarification.

......

Reference this Ministry's letter of even number dated 11-12-81 on the above subject. Some doubts have been raised about the implementation of the same. The matter has been considered in consultation with the Ministry of Home Affairs, Deptt. of Personnel and the same are clarified as under:-

	Point raised		Clarification
1.	20 days half pay leave is admissible only after the completion of a year's service. How is the credit of half pay leave to be allowed in the case of a teacher who had put in less than a year's service as on 11-12-1981.	1.	Proportionate half pay leave for the broken period of the year may be allowed at the rate of 20/12 days for each completed month.
2.	Whether the half pay leave at the credit of teachers as on 11-12-81 is to be accounted for separately in the leave account and teachers can be allowed to avail this leave as half pay leave or commuted leave on medical grounds.	2.	Half pay leave at the credit of teachers as on 11.12.81 is to be shown separately in the leave account and may be granted as half pay leave/commuted leave on the same terms and conditions as were applicable to them prior to issue of letter dt. 11-12-81.
3.	Since no half pay leave will be admissible to the teachers who have been/will be appointed after 11-12-81 it is presumed that they will not be entitled to commuted leave on medical grounds.	3.	Teachers appointed after 11-12-81 will not be entitled to any half pay leave and there is therefore no question of granting commuted leave on medical grounds.

.../-

Point raised	Clarification
4. In the case of employees other than teachers, 15 days earned leave is at present credited in their leave account on 6 monthly basis i.e. on first of Jan. and July each year in advance. Will the teachers also be eligible for the grant of 5 days earned leave after completion of six months period.	4. For the period from 1.1.82 onwards 5 days earned leave will be credited in advance on the 1st of Jan. and July each year, as in the case of other categories of Govt. servants.
5. Some teachers have availed of 'leave not due' to be adjusted against the half pay leave to be earned in future. Since the teachers are not eligible now for half pay leave how is the 'leave not due' to be adjusted in such cases.	5. Unadjusted portion of 'Leave not due' granted to teachers may be adjusted against the future earning of earned leave by them. For this purpose 2 days of 'leave not due' may be adjusted against one day of earned leave.
6. whether accummulated half pay leave to the credit of teachers working under the Central Govt. can be converted into earned leave for the purpose of encashment on their retirement on superannuation.	6. No such conversion is permissible.
7. whether encashment of leave is admissible to all the teachers who retired/would be retired after 31-12-1981.	7. Encashment of leave would be admissible to teachers subject to the conditions laid down in Board's letter No. F(E)III-77LE-1/4 dt. 15-11-77.
8. what proportion of 10 days earned leave per year admissible can be granted in cases where the teacher concerned retires or quits service without completing a year.	8. Proportionate earned leave at the rate of 5/6 days for each completed month of service is to be allowed in such cases.
9. whether the teachers/Heads of schools have any option either to avail of 20 days half pay leave or 10 days earned leave on full pay.	9. There is no provision for option w.e.f. 11-12-81. Teachers including Principals and Heads of school are entitled to only 10 days earned leave during a year.

..../-

2. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Dte. of the Ministry of Railways.

(K. Venkatesan)
Addl. Director, Estt. (P&A),
Railway Board.

No. E(P&A) I-81/CPC/LE-8. New Delhi, dated: 9.5.1985.

Copy to the FA&CAOs, All Indian Railways, including CLW, DLW & ICF.

(K. Venkatesan)
Addl. Director, Estt. (P&A),
Railway Board.

No. E(P&A) I-81/CPC/LE-8. New Delhi, dated: 9.5.1985.

Copy to the ADAI(Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways.

No. E(P&A) I-81/CPC/LE-8. New Delhi, dt: 9.5.1985.

Copy (with 25 spares) to:-

1. The General Secretary, AIRF, 4-State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3-Chelmsford Road, New Delhi.
3. All Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozshan Road, NewDelhi.

for Secretary, Railway Board.

Copy to F(E)III (with 2 spares).

E(LR)I (5 spares)

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0ई(पी एण्ड ए) I-81/सी.पी.सी/एल ई/8 नयी दिल्ली, दिनांक 9-5-85

महाप्रबन्धक,

सभी भारतीय रेलें

चि0रे0का0 डी0रे0का0 स0डि0का0

और महा निदेशक/अनु0अभि0 एवं मानक संगठन।

विषयः- रेलवे स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की 20 दिन के अर्ध-वेतन अवकाश के बदले एक वर्ष में पूरे वेतन पर 10 दिन की अर्जित छुट्टी की हकदारी से संबंधित स्पष्टीकरण।

यह पत्र उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 11-12-81 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है। उसके कार्यान्वयन के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किये गये हैं। गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गयी है और उसके संबंध में स्थिति नीचे स्पष्ट की गयी हैः-

उठाए गए मुद्दे	स्पष्टीकरण
1. 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश केवल एक साल की नौकरी पूरी होने के बाद ही स्वीकार्य होता है। ऐसे किसी अध्यापक के मामले में जिसने 11-12-1981 तक एक साल से कम नौकरी की है उसके अर्ध-वेतन-अवकाश को किस प्रकार जमा किया जाए?	1. वर्ष के दौरान विच्छिन्न अवधि के लिए प्रत्येक पूरे महीने के लिए, 20/12 दिन के हिसाब से आनुपातिक अर्ध-वेतन-अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।
2. क्या अध्यापकों के खाते में 11-12-81 को जमा अर्ध-वेतन-अवकाश का अलग से अवकाश लेखा रखा जाए और क्या अध्यापक इस अवकाश को (चिकित्सा) अर्ध-वेतन-अवकाश अथवा परिवर्तित-अवकाश अथवा चिकित्सा के आधार पर परिवर्तित अवकाश के रूप में ले सकते हैं।	2. अध्यापकों की 11-12-81 तक के जमा अर्ध-वेतन-अवकाश को अलग से अवकाश खाते में दर्शाया जाना होगा और अध्यापकों को यह अवकाश अर्ध-वेतन-अवकाश/ [illegible] परिवर्तित छुट्टी के रूप में उन्हीं शर्तों और उपबन्धों पर मंजूर किया जा सकता है जो कि उनके मामले में दिनांक 11-12-81 का पत्र जारी करने से पहले लागू थे।

3. चूंकि ऐसे अध्यापकों को कोई अर्ध-वेतन-अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें 11-12-81 के बाद भर्ती किया गया है/किया जाएगा अतः ऐसा माना जाता है कि ऐसे अध्यापक चिकित्सा के आधार पर परिवर्तित अवकाश लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. 11-12-81 के बाद नियुक्त किए गए अध्यापक किसी अर्ध-वेतन-अवकाश के हकदार नहीं होंगे और इसलिए चिकित्सा के आधार पर परिवर्तित अवकाश दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

4. अध्यापकों के अलावा, अन्य कर्मचारियों के मामले में, उनके अवकाश के हिसाब में इस समय छमाही आधार पर अर्थात प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश पहले ही जमा कर दिया जाता है। क्या अध्यापकों को भी 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद 5 दिन का अर्जित अवकाश लेने दिया जाएगा।

4. 1-1-82 के बाद से सरकारी कर्मचारियों की अन्य कोटियों की भांति ही प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को 5 दिन की अर्जित छुट्टी पहले ही जमा कर दी जाएगी।

5. कुछ अध्यापकों ने अर्जन-शोध्य-छुट्टी ली है जिसे भविष्य में अर्जित की जाने वाली अर्ध-वेतन-छुट्टी में समायोजित किया जाएगा चूंकि अध्यापक अर्ध-वेतन-छुट्टी पाने के हकदार नहीं हैं, अतः ऐसे मामलों में अर्जन-शोध्य-छुट्टी को कैसे समायोजित करना पड़ेगा।

5. अध्यापकों को दी गई अर्जन-शोध्य-छुट्टी का समायोजित न किया गया भाग उनके द्वारा भविष्य में अर्जित की जाने वाली अर्जित छुट्टी में समायोजित किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए 2 दिन की अर्जन-शोध्य-छुट्टी को एक दिन की अर्जित छुट्टी में समायोजित किया जाये।

6. क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों के हिसाब में जमा अर्ध-वेतन-छुट्टी को उनकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने के समय नकदीकरण के प्रयोजन के लिए अर्जित छुट्टी में बदला जा सकता है।

6. ऐसा कोई परिवर्तन अनुमेय नहीं है।

7. क्या ऐसे देशी अध्यापकों की छुट्टी का नकदीकरण स्वीकार्य है जो 31-12-81 के बाद सेवानिवृत्त हुए/होंगे।

7. अध्यापकों को छुट्टी का नकद भुगतान बोर्ड के 15-11-77 के पत्र सं0 एफ (ई) III-77 एल ई-1/4 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा।

8. प्रत्येक वर्ष में स्वीकार्य 10 दिन की अर्जित छुट्टी का कितना अंश/भाग ऐसे मामलों में दिया जा सकता है जहां संबंधित अध्यापक नौकरी का एक साल पूरा किए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा नौकरी छोड़ देता है।

8. ऐसे मामलों में नौकरी के प्रत्येक पूरे माह के लिए 5/6 दिन के हिसाब से आनुपातिक अर्जित छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है।

9. क्या स्कूल के अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को 20 दिन की अर्ध-वेतन छुट्टी अथवा पूरे वेतन पर 10 दिन की अर्जित छुट्टी लेने का विकल्प उपलब्ध है।

9. 11-12-81 से विकल्प का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल के प्रिन्सिपलों और प्रधानाध्यापकों सहित, अध्यापक एक वर्ष के दौरान केवल 10 दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होते हैं।

2. इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(के0वेंकटेशन)
अपर निदेशक स्थापना(वे0एवं भ0)
रेलवे बोर्ड।

सं0 ई(पी एण्ड ए)1-81/सी पी सी/ एल ई-8 नयी दिल्ली, दिनांक 9-5-85

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों को चि0रे0का0 डी0रे0का0 और स0डि0का0 सहित प्रेषित।

(के0वेंकटेशन)
अपर निदेशक स्थापना (वे0एवंभ0)
रेलवे बोर्ड।

सं0 ई(पी एण्ड ए)1-81/सी पी सी/ एल ई-8 नयी दिल्ली, दिनांक 9-5-85

प्रतिलिपि भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलें), नयी दिल्ली को प्रेषित।

एच. एल. भटनागर
कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

नयी दिल्ली, दिनांक 9-5-85

सं0 ई(पी एण्ड ए)I-81/सी पी सी/एल ई-8

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषितः-

1. जनरल सेक्रेटरी, ए आई आर एफ 4-स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली ।
2. जनरल सेक्रेटरी, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली ।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, 9- अशोक रोड, नयी दिल्ली ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड।

प्रतिलिपि एफ(ई)III को (2 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित ।